

कार्यालय अंचलाधिकारी (पटना)

अब दिनांक ०५/१३/१३ को ग्राम खुर्दा ३-५ ई/ में आयोजित कैम्प में
श्री मन्मथ लाल शर्मा w/o श्री कमलेश पाषाण
प्रो वाम ईष्ट ५०
कैला वल्द श्री केशव जिला पटना ने
 कसोका नं. ११७५ दिनांक १३-३-९६ के द्वारा निर्माकित जमीन का
 दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान
गदाइ (३८-१०)	१०	६०	२३९	०५ कठ	१.०० (३५)

०५/१३/१३

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी! जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशांसा किए हैं। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की अनुशांसा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।
 लेखापति

MS
 अंचलाधिकारी, पटना

प्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत
 दिनांक ०५/१३/१३

MS
 अंचलाधिकारी, पटना